राजस्थान – सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग प्रतापगढ़

email id:- me.pratapgarh@rajasthan.gov.in

–:कोटेशन:–

जिला प्रतापगढ़ की District Survey Report (DSR) तैयार हेतु कोटेशन प्रपत्र

निदेशालय के पत्र कमांक निदे/अनिखा/पर्या/डीएसआर/2019/799–807 दिनांक 24.06.2022 से जिला प्रतापगढ़ की डिस्ट्रीक सर्वे रिपोर्ट (DSR) तैयार कराई जानी है जिस हेतु उक्त कार्य कन्सलटेन्ट को दिया जाना है। इस हेतु सम्बन्धित NABET/NABL से मान्यता प्राप्त पर्यावरण कन्सलटेन्ट फर्म के लेटर पर दिनांक 20.07.2023 को दोपहर 3:00 बजे तक कोटेशन आमन्त्रित किये जाते है। प्राप्त कोटेशनों को दिनांक 20.07.2023 को सायंकाल 5:00 बजे गठित कमेटी द्वारा खोली जाकर दरे अनुमोदित की जावेगी। कोटेशन की शर्ते निम्नानुसार है:–

भाग–(ए) निविदा की सामान्य शर्तेः–

1. संबधित फर्म अपनी दरे लेटर पेड पर स्पष्ट रूप से अंको व शब्दों दोनो में अंकित करेगा। पेन्सिल से अंकित दरें मान्य नही होगी। दरों में कांट–छांट नही होनी चाहिए। कोटेशन पर मोटे अक्षरो में फर्म का नाम व पता अंकित होना चाहिए।
2. निविदा बन्द लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से निविदा का नाम हेतु लिखा होना चाहिए।
3. खनि अभियंता कार्यालय द्वारा जारी किये गये निविदा प्रपत्र में दी गयी निविदा की शर्तों पर निविदादाता द्वारा प्रत्येक पृष्ठ विधिवत हस्ताक्षरशुदा होना चाहिए।
4. निविदादाता फर्म द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों की प्रति प्रमाणित एवं निविदादाता फर्म के नाम से ही होनी चाहिये।
5. निर्धारित दिनांक व समय के बाद प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। अगर डाक से भेजी गयी निविदायें निर्धारित दिनांक व समय तक खनि अभियंता कार्यालय में प्राप्त नहीं होती है तो इसके लियें खनि अभियंता कार्यालय उत्तदायी नहीं होगा।
6. प्राप्त निविदाओं को यथा निर्धारित दिनांक व समय पर, यथा सूचित स्थान/ कार्यालय में उपस्थित गठित समिति व निविदादाताओं के समक्ष/समक्ष अधिकारी द्वारा खोला जावेगां।
7. निविदा में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त अन्य कोई शर्त निविदादाता की स्वीकार नहीं होगी तथा खनि अभियंता कार्यालय को किसी भी निविदा न्यूनतम दर वाली निविदा सहित बिना किसी कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
8. निविदादाता द्वारा जमा कराई गई निविदा में किसी भी प्रकार का मिथ्यात्मक विवरण पाया जाने पर निविदा को निरस्त किया जा सकेगा।
9. निविदा की शर्तों का उल्लंधन करने एवं कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना सूचना दिये अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।
10. इस निविदा के सम्बन्ध मे अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध की शर्तो की व्याख्या अथवा अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी भी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद पर खनि अभियंता कार्यालय का निर्णय अंतिम होगा और निविदादाता को मान्य होगी।

P.T.O.......

Scanned with OKEN Scanner

11. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 Rajasthan Transparency in Public Procurement Rule, 2013 के समस्त प्रावधान लागु होगे।
12. निविदादाता फर्म जीएसटी नम्बर, पैन कार्ड, रजिस्ट्रेशन दस्तावेज इत्यादि निविदा के साथ प्रस्तुत करेगा। साथ ही ईमेल आईडी एवं दुरभाष सुचना प्रस्तुत करेगा।
13. किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार प्रतापगढ़ होगा।

भाग–(ब) निविदा की विशिष्ट शर्ते

1. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 के अनुसार होगी।
2. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट एवं खनिज बजरी हेतु पुर्नभरण (Replenishment Study) की रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
3. स्वीकृत दर पर फर्म को भुगतान निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग उदयपुर से बजट प्राप्त होने पर किया जावेगा। विलम्ब से हुए भुगतान हेतु किसी प्रकार की ब्याज की राशि देय नही होगी।
4. चयनित फर्म/कन्सलटेन्ट को भुगतान ऑनलाईन किया जावेगा। भुगतान हेतु फर्म/कन्सलटेन्ट को बैंक ब्योरा देना होगा।
5. चयनित फर्म/कन्सलटेन्ट द्वारा 2 माह की अवधि में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट तैयार करा जिला कलक्टर प्रतापगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला कलक्टर से सत्यापन करा SEAC/SEIAA को अनुमोदन हेतु भिजवायेगा।
6. चयनित फर्म/कन्सलटेन्ट की कोई शर्त मान्य नहीं होगी।

निविदा दाता का नाम मय हस्ताक्षर एवं
मोहर

Scanned with OKEN Scanner